

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(20)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 11-08-2023

:: आदेश ::

श्री लालचन्द मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं02, झालावाड की सेवा अवधि दिनांक 31.07.23 को पूर्ण होने के फलस्वरूप इनकी सेवा अवधि में वृद्धि नहीं करते हुए श्री लालचन्द मीणा, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं02, झालावाड की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड।
- 8 विशिष्ट न्यायाधीश, पोक्सो सं02, झालावाड।
- 9 जिला कलक्टर, झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो सं02, झालावाड के पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश झालावाड की अनुशंसा/परामर्श उपरान्त कम से कम 03 अधिकतम सम्भवत 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल मय बायोडाटा एवं घोषणा पत्र के साथ अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेश तक इनके लिंक अभियोजक को विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो सं02, झालावाड में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय व इस विभाग को अवगत करावें।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि